(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

सुनील .... बनाम .... राजी

किस्म मुकदमा ....S3, 188 RT.... नं. ....49/18.... सन् ....2018....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-4-18	वकील वादीगण द्वारा वादपत्र पत्र अन्तर्गत धारा S3, 188 RT R विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया । वादपत्र पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 25-6-18 को पेश हो ।	
	25.06.2018 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकार सरदारनगर में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 01 को छोडकर शेष पक्षकारान उभयपक्ष नियत शिविर के दौरान हाजिर नही। पत्रावली का बारिखी से अध्ययन/परिक्षण किया गया। प्रकरण आज प्रतिवादीगण को प्रस्तुत करने जवाबदावा हेतु नियत है। शिवलाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी सरदारनगर द्वारा वक्त शिविर उपस्थित होकर इसी मौजूदा प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगणो ने विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 872 किता 02 रकबा 00–08 बीघा में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी को वादपत्र प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही बैचान कर दिया गया था। यानि इस वादपत्र में प्रार्थी सद्भाविक कैता बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना कानूनन आवश्यक था, किन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र मे ऐसा नही	शिवलाल गवाह

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर बैचानकर्ता को ही पक्षकार बना यह वादपत्र त्रूटीयुक्त/दोषपूर्ण प्रस्तुत किया है, एंव इसके अतिरिक्त वादग्रस्त खाते में एक खातेदार श्री अबरू पिता जमालूदीन मुसलमान जो कि फौत हो चुके है, किन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र में मृतक अबरू खां के विधिक प्रतिनिधियों/वारिसानों को बतौर पक्षकार संयोजित नही कर यह विधिक भूल की है, जो कि कतई क्षम्य योग्य नही होकर, वाद मेन्टनेबल नही होने से खारिज किया जाना फरमावें। अतः उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा अवगत अभिकथनों पर परिक्षण उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र त्रूटीयुक्त/दोषपूर्ण पाये जाने से, खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा) बनेड़ा जिला भीलवाडा	